



## जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश

पृष्ठ -2

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी)

जल संभवी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप समिति, अर्थात् वीडब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा ऐसाकर की जानी है और वीडब्लू.एस.एम.कों प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है आई.एस.ए.द्वारा भागीदारी सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख ६।।।२०२४- ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख ५।।।२०२४-

वीडब्लू.एस.एम.को प्रस्तुत किए जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम १८८८ ग्राम पंचायत का नाम १८८८

खाल का नाम २०८८

जिला का नाम १८८८

राज्य का नाम ३०८८

ग्राम जनगणना कोड

(यदि लागू हो, तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

2. ग्राम वर्चायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकाश २ (संख्या) मध्ये कुटी को और ८२ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ८२ पट्टे निर्वासित गुणवत्ता वाले ५५ एल.पी.सी.टी. जल आपूर्ति वर्ष २०८५ तक ग्रामीण परियारों को उपलब्ध कराने के लिए एक एच.टी.सी.प्रदान करना तभ म ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत ग्राम जल आपूर्ति अवधारणा के अपनत्व, प्रबंधन प्रवालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी तर्क करेंगे और उन्हें संदृश्यता नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की घटकस्था करेंगे और अपने नीठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प हिंदा जाता कि पूरी लागत का १०% प्रवालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का मुगलान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ता का प्रगति पत्र वी.एच.ई.टी./आर.डब्लू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति योग्य में जल आपूर्ति योजना की आयोजना-कार्यान्वयन, प्रबंधन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी।

(ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति) १८८८

अधिकारी का नाम ४५८८ लिंग महिला आयु ४१७

| S.N. | सदस्य का नाम    | लिंग  | आयु |
|------|-----------------|-------|-----|
| १    | मिला रुपेश      | महिला | ३५  |
| २    | मिला देवी       | "     | -   |
| ३    | मिला रुपेश देवी | ५     | २५  |

6. 2011 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या ३३१७

वर्तमान पंचायत / अग्निवाली रिफोर्ड के अनुसार

परियारों की संख्या २००

वर्तमान जनसंख्या ३४१७

परियारों की संख्या १९५

महिलाओं की संख्या ४००

महिलाओं की संख्या ४५०

पुरुषों की संख्या ७००

पुरुषों की संख्या ७५०

बच्चों की संख्या ३००

बच्चों की संख्या ३७५

एफ.एच.टी.सी. की संख्या २००

एफ.एच.टी.सी. की संख्या २००

३३१७

२८०



## ७ जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती वरण वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) १०७ किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.) अतिम वरण

वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान संख्या में 32% वृद्धि) १२० किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.)

८ वर्तमान बढ़ेदबी संख्या (पश्चालन रिकॉर्ड) ३६

९ कृषि फसल पैटर्न

अमुख फसलें

खरीफ

रबी

१० औसत जिला वर्षा (मि.मी. में) ७५

११. स्थलाकृति (समतल, डलान, आदि)

## १२ स्थिति विश्लेषण

१२ क्या संसाधन मानविक्रिया किया गया है (हैं / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें)

१३ क्या सामाजिक मानविक्रिया किया गया है (हैं / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें)

१४

| प्रम.सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी.उपलब्ध है (हैं / नहीं) | ज्या वर्षा जलसंचयनसंरचना उपलब्ध है (हैं / नहीं) | सौख्य गढ़ों को उपलब्धता (हैं / नहीं) |
|----------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1        | स्कूल                   | हैं / नहीं                              | हैं / नहीं                                      | हैं / नहीं                           |
| 2        | आगंवाहारी               | हैं / नहीं                              | हैं / नहीं                                      | हैं / नहीं                           |
| 3        | स्वास्थ्य केंद्र        | हैं / नहीं                              | हैं / नहीं                                      | हैं / नहीं                           |
| 4        | ग्राम पंचायत भवन        | हैं / नहीं                              | हैं / नहीं                                      | हैं / नहीं                           |
| 5        | अन्य                    | हैं / नहीं                              | हैं / नहीं                                      | हैं / नहीं                           |

पानी की कृषि दैनिक आवश्यकता

१५ पानी की वेतनमान आवश्यकता जनसंख्या X दर ९। के.एल.डी.

मध्यवर्ती के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता २७ के.एल.डी.

मध्यवर्ती कुठों की आवश्यकता संख्या ०२

मध्यवर्ती वरण के लिए पानी की आवश्यकता -जनसंख्या X दर १०७ के.एल.डी.

अतिम वरण के लिए पानी की आवश्यकता -जनसंख्या X दर १२० के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

१६ गर्भ में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/अकाल/सफ़्रात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता समाय प्रवर्तित

१७ आपालकालिन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों, आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

१८ पानी की आपूर्ति से संबंधित आधिकारिक कार्य, स्त्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

१९ जल जनित रोयों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

२० फोल्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिवारित लारीखें...

२१ सीनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिवारित लारीखें

२२ जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले गौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता : स्रोत का नाम (अपरिधित):

| मापदंड          | तरीका              | परिणाम |
|-----------------|--------------------|--------|
| गंदगी           | दृश्य तुलना        |        |
| पीएच            | पट्टी रंग तुलना    |        |
| पूर्ण लवणता     | टिट्रोमेट्रिक विधि |        |
| पूर्ण क्षारीयता | टिट्रोमेट्रिक विधि |        |
| क्लोराइड        | टिट्रोमेट्रिक विधि |        |
| आमोनिया         | दृश्य रंग तुलना    |        |
| फास्फेट         | दृश्य रंग तुलना    |        |
| अवशिष्ट क्लोरीन | दृश्य रंग तुलना    |        |
| आयरन            | दृश्य रंग तुलना    |        |
| नाइट्रोट        | दृश्य रंग तुलना    |        |
| पलोराइड         | दृश्य रंग तुलना    |        |



|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| आर्थिक (हाउसपैटम में)  | दृश्य रंग तुलना |       |
| कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान:-   |                 |       |
| 23. यह सम्भावना है कि गौव की कुछ नरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और / या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिवारित स्थानों की संख्या जिसमें कपड़े धोने / स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: |                 |       |
| अवस्थिति का नाम  | घरों की संख्या  | आवादी |
|  |                 |       |

24. भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरडेल रिचार्ज संरचना है(हैं/ नहीं)

25. गौव में उन गौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प / मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:  
गंदंसे जल का प्रबन्धन

26.उत्थन गंदला जल (जल आपूर्ति का 65) : **७५%**, के एवं डी.

अलग— अलग सोखता गढ़ों वाले परिवारों की संख्या : **१०**

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गढ़ों की आवश्यकता है.....

आवश्यक सामुदायिक सोखता गढ़ों की संख्या : **५**

क्या अपरिषट जलधारा तालाब की आवश्यकता है(हैं/ नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिवारित किया जाया है:

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबन्धन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए

## पार

V जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी.प्रदान किए जाएंगे:

ट्रिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्वीय एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी के तहत पुरु की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जो.जे.एम के अनुकूल बनाया जा सके निर्धारित चुणावता वाले पर्याप्त भू-जल / स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.बोर्ड की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.

वाटर विड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.

मिशी सौर ऊर्जा आधारित पी.एल.डब्ल्यू.एस. जो एकलन्त / आदिवासी बसितियों में स्थित है।

28. अभिनिवारित जल स्रोत ..... तकनीकी —आर्थिक और सामाजिक —आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना .....

इस योजना के लिए अभिनिवारित भूमि .....

वह तारीख,जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस.विभाग की सीप दी जाएगी ..... योजना की लागत ..... भारत सरकार का हिस्सा ..... व्यवितरण घरेलू अंदान ..... वार्षिक प्रचालन व सख्तरखाब युल्क ..... घरेलू मासिक जल युल्क / प्रयोक्ता युल्क ..... कोई दूरस्थ बसावट हो तो अभिनिवारित पी.एल.डब्ल्यू.एस.

## VI मेल-जोल

( निम्नलिखित तालिका में उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया जाया है जिसके तहत निविड़ / निशि मेल-जोल सम्बद्ध है (ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकता के अनुसार अभिनिवारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं) )

29.

| योजनाओं का नाम   | फैन्ड/राश्व संरक्षण का विवरण              | संरक्षण नियमितियों जो अकूल हो जा सकती हैं   | प्रस्तावित निशि |
|--|---|---|-----------------|
| पीडीवाट आयोन   | प्राम पर्याप्त                            | रो/वाटर बैनेकोट.ड्रेनेज सिस्टम आदि।   |                 |
| स्वच्छ भारत योजना—प्रान्तीय (एस.वी.एस.वी.)             | पीडीजल और स्वच्छता विभाग जल संचयन संरक्षण | जल-वाटर बैनेकोट सोखता गढ़ों (व्यवितरण / सामुदायिक) , अपरिषट तालाब आदि।              |                 |
| एस.वी.एन.आर.ई.वी.एस.                                   | प्रामोग विकास मंत्रालय                    | प्राकृतिक संरक्षण प्रबन्धन(एस.आर.एस.)घटक के तहत सभी जल संरक्षण नियमितियाँ           |                 |
| एकीकृत वाटरबैंड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.वी.) | मूर्मि संसाधन विभाग                       | वाटरबैंड प्रबन्धन/आर.डब्ल्यू.एस./कृत्रिम पुनर्मरण जल नियमांश का नियाय/वृद्धि आदि।   |                 |
| जल भंडारों की मरम्मत ,वर्कीनीकरण और जोरदार             | जल संसाधन नदी विकास और गोगा संरक्षण विभाग | जल भंडारों का जीर्णोद्धार   |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.की.याई.)                | कृषि सहकारी और किसान विभाग                | वाटरबैंड से संबंधित कार्य   |                 |
| प्रजननमयी कृषि सिवाइ योजना                             | कृषि सहकारी और किसान                      | जल की खपत याती विधिन  |                 |
| (वी.एम.के.एस.वाई.)                                     | संरक्षण मंत्रालय                          | फलातों के लिए सूखा-सिवाइ का प्राप्तान्, एकीकृत से जल की नियन्त्री को कम करने के लिए |                 |



## RHCf-NGO



|   |  |  |
|---|--|--|
| सांतिपूरक वर्तीकरण कोष प्रबलान<br>और आयोजना विभाग                             | पर्यावरण दल और जलवाया परिवर्तन<br>मंत्रालय                   | आर.डब्ल्यू.एस.विभागों के लिए आवश्यक मानव संस्करणी के<br>लिए बौद्धिक विकास विभाग आदि। |
| संघर्ष विभाग  | मानव संसाधन विभाग संकालन                                     | संघर्ष में विभाग कार्यालय का प्रावधान  |
| आकाशी विभाग जलवाया  | नीति अधीन  | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाचार्य निहिती के लिए<br>जल संरक्षण नियमिति।          |
| जिला खनिज विभाग नियिं (टी.<br>एस.एफ.)   | राज्य  | कई ऐमाने पर जल संरक्षण नियमिति।  |
| एम.पी.एल.ए.डी.  | संचियालय और कार्यक्रम कार्यालय<br>मंत्रालय (एम.पी.एस.पी.आई.) | अलंकाम अवसरधना   |
| एम.एल.ए.एल.ए.डी.  | राज्य  | अलंकाम अवसरधना   |
| संविधान के अनुच्छेद 275(1) के<br>लिए अनुदान/जनजातीय<br>उपयोगान्वय (टी.एस.एस.) | जनजातीय बामलों का संकालन और<br>राज्य                         | अलंकाम अवसरधना   |
| दानदाता/प्रयोजक   |  |  |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर—

सुमन

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

ठाऊपक्षामआई.एस.ए.प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर(यदि लागू हो) प्रदीपकुमार

संपर्क विवरण

आम पर्यावरण और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् यी.डब्ल्यू.एस.डी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का  
अध्यक्ष का नाम और फोन नंबरसुमन देवी 9758333953पर्यावरण समिति का नाम और फोन नंबर ठाऊपक्षाम 9720469665

जनीनी तकनीविधन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

| Sr. | महिला का नाम | पति का नाम     | मोबाइल नं.  | बैंक खाता संख्या | IFSC कोड  | ब्रांच |
|-----|--------------|----------------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 1.  | नीलमकुमारी   | प्रताप देवी    | 9759140167  | 1510100001136    | BKJD00104 | HJ13   |
| 2.  | उमीता देवी   | विरेन्द्र सिंह | 8171226901  | 151710100001085  | BKJD00104 | AU13   |
| 3.  | सुमित        | छान्दोपाध्ये   | 87549901820 | 30100001736      | SBI N0014 | 207    |
| 4.  | कालिन संगर   | प्रदीपकुमार    | 1060769500  | 302339305488     | SBI N0014 | 207    |
| 5.  | निकृष्ण      | कुलदिनकुमार    | 9997974510  | 151710100000760  | BKJD00104 | YAGA   |

अमन ठाऊपक्षाम 910 750000 7300963394

ISA:- RHCfISA प्रतिनिधि:- प्रदीपकुमार

प्रदीपकुमार/प्रियकास अधिकारी  
आम पर्यावरण  
मंत्रालय  
प्रधानमंत्री (हाथरस)